

16/3/18

~~पञ्चावली पेशा~~
~~अधिकार~~ ~~भागपना/उप.~~
~~अनुपस्थित~~
~~भावि~~ ~~भागपना/उप.~~
~~मनु~~
~~पञ्चावली~~ ~~पदस्था~~
 आगामी पेशा दिनांक 21/3/18
 पेशा है

17/3/18 पञ्चावली पेशा है
 उपयुक्त कर्मचारी उप पञ्चावली
 के रूप में कार्य करे, क'स/1
 दिनांक 11/4/18 को पेशा है @

11/4/18 पञ्चावली पेशा है उपयुक्त
 कर्मचारी उप पञ्चावली के रूप में
 कार्य करे, क'स/1
 दिनांक 11/4/18 को पेशा है @

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 296 सन् 2016

अनवान :-

जसराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व
जिला हनुमानगढ़।

- वादी।

बनाम

1. चेताराम पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व
जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील
व जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जारिये तहसीलदार (राजरव) हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण।

अर्जीदावा वास्ते घोषणात्मक आज्ञापति खाता विभाजन एवं तवादला भूमि
करवाने बरुवे राजस्व रिकार्ड एवं शहादत हरकिस्म।

उपस्थित :-

1. श्री देवीलाल भाम्मू। अभिभाषक वादी।
2. श्री तरसेमसिंह बराड़। अभिभाषक प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 की ओर से।
3. पैरोकारराज तहसीलदार हनुमानगढ़। प्रतिवादी नं. 3

निर्णय दिनांक :- 16.01.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने 08.07.2016 को विरुद्ध प्रतिवादीगण
वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नं.
43 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 123/114 कुल 1.012 हैक्टर, खाता संख्या 129/123 में कुल
6.325 हैक्टर, खाता संख्या 12/9 में 5.288 हैक्टर, खाता संख्या 32/34 में 4.123 हैक्टर,
खाता संख्या 39/38 में 4.554 हैक्टर व चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 4/5 में 2.530
हैक्टर, खाता संख्या 5/6 में 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 34/34 में 2.024 हैक्टर, चक नं.
42 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 41/39 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व
2 के नाम सांझेखाते में व कुछ कृषि भूमि सांझेखाते की कृषि भूमि का संयुक्त आय से वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग खरीद शुदा है जो उनके नाम से एकल खाते में है
परन्तु प्रश्नगत समस्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से खरीद शुदा पैतृक
कृषि भूमि है जिनका मुताबिक कब्जाकास्त पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है। प्रमाणित प्रतिलिपि
जमान्दिया चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू, 40 एसएसडब्ल्यू, 42 एसएसडब्ल्यू संलग्न वादपत्र है।

वादपत्र अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का बंटवारा इस प्रकार है कि वादी श्री
जसराम पुत्र श्योलाल चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 39/38 के प.नं. 71/309(4) के
किला नं. 9,12,13,18,19, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 11/.012, 20, 21, प.नं. 70/312(22)
के किला नं. 15/.18, 16/1/.02, 16/2/.11, 25, प.नं. 71/313(32) के किला नं. 1,2, प.नं.
71/310(7) के किला नं. 7,15, चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 129/123 के प.नं.
71/311(18) के किला नं. 1,9,10,11/.10, 12/.10, प.नं. 71/310(7) के किला नं.
8,13,14,17,18/.13, 24, खाता नं. 12/9 के प.नं. 71/309(4) के किला नं. 10,11,20, खाता
संख्या 123/114 के प.नं. 71/312(21) के 22, खाता नं. 32/34 के प.नं. 72/310(6) के
किला नं. 10, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 6, चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 5/6 के
प.नं. 80/327(29) के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 15, खाता नं. 34/34 के प.नं. 81/327
(28) के किला नं. 1-6/.13, 7 ता 10 कुल तादादी 41.07 बीघा कृषि भूमि पर काबिज होकर
काशत कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 01 चेताराम पुत्र श्योलाल चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या
123/114 के प.नं. 71/312(21) के किला नं. 18,19,23, खाता नं. 129/123 के प.नं.
71/310(7) के किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 18/.07, 19 ता 23, खाता नं. 32/34 के प.नं.
70/309(3) के किला नं. 3 ता 5, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 1,2,9,10,12,13/0.16, चक
नं. 40 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 5/6 के प.नं. 80/327(29) के किला नं. 4,5, खाता नं.
34/34 के प.नं. 81/327(28) के किला नं. 3,4,6/0.07 कुल तादादी 28.00 बीघा कृषि भूमि पर
काबिज होकर काशत कर रहे।

प्रतिवादी संख्या 02 ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता नं.
129/123 के प.नं. 71/309(4) के किला नं. 23, 24, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 11/.10,

लगतार 2

लगतार 2

प.नं. 71/310(7) के किला नं. 4, खाता नं. 32/34 के प.नं. 72/310(6) के किला नं. 1 ता 4, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 5, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 25, खाता नं. 12/9 के प.नं. 70/309(3) के किला नं. 6-15/.18, 16, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 21,22, प.नं. 72/309(5) के किला नं. 16,17, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 7 ता 9, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 12/.10, 16 ता 22, खाता नं. 39/38 के प.नं. 72/309(5) के किला नं. 22, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 8,14,17, चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 41/39 के प.नं. 78/326(35) के किला नं. 1,2,10, प.नं. 77/326(36) के किला नं. 6,7 चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 4/5 के प.नं. 77/331(46) के किला नं. 12 ता 19, 22, 23 कुल तादादी 45.18 बीघा कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे।

प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटवारा नहरी बारानी, सरता खाला व किरम तथा उपजाऊ क्षमता को देखते हुए बराबर किया हुआ है काफी अरसा से वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रश्नगत कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे आखिर आज रो दस रोज पूर्व मुकाम बहलोलनगर में कतई इनकार हो गये यही वाद कारण है। प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त सहदायिक सम्पति है जिसका पारिवारिक बंटवारा वादपत्र की दफा 3 में वर्णितानुसार किया हुआ है इसलिए वादी मुताबिक पारिवारिक बंटवारा घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने का कानूनी मुस्तहक है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्यायशुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कराया दिया जावे कि वादी वादपत्र की दफा 3(क) में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वाद इस्तकरार हक वादी का खाता एवं लगान मुताबिक बाहमी बंटवारा वादपत्र की दफा 3 में वर्णितानुसार अलग अलग कायम किया जावे। वादी द्वारा अपने वाद की ताईद में बतौर दस्तावेजी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 चक 43 एस.एस.डब्ल्यू के खाता नं. 123/114, खाता नं. 129/123, खाता नं. 39/38, खाता नं. 41/41, खाता नं. 32/34, खाता नं. 12/9, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 चक 42 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 41/39, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 चक 40 एसएसडब्ल्यू के खाता नं. 34/34, खाता नं. 4/5, खाता नं. 5/6 पेश की गई है।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक अभिभाषक श्री तरसेम सिंह बराड़ दिनांक 14.07.2016 को उपस्थित आये। दिनांक 14.07.2016 को ही अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर सहमति व्यक्ति करते हुए राजीनामा पेश किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा को प्राथमिक डिक्री की जाकर राजीनामा की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/17/698 दिनांक 14.09.2017 द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ प्रेषित कर प्रकरण में जांच कर टिप्पणी सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक/भू0अ0/प्रा0डि0/2017/3888 दिनांक 10.10.2017 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी श्री जसराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन बहलोलनगर चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 9-12-13-18-19/1.265 हैक्टयर, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 11/.152, 20/.228, 21/.253, प.नं. 70/312(22) के किला नं. 15/.240, 16/1/.025, 16/2/.114, 25/.253, प.नं. 71/313(32) के किला नं. 1-2/.506, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 7-15/.506, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 1-9-10/.759, 11/.153, 12/.153, प.नं. 71/310 के किला नं. 6/.253, 8-13-14-17/1.012, 18/.183, 24/.253, प.नं. 71/309 के किला नं. 10-11-20/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 22/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 10/.253, चक 40 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 80/327(29) के किला नं. 6ता8,13ता15/1.518, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 1/.253, 6/.183, 7ता10/1.012 कुल 10.539 हैक्टयर पर कब्जा काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 श्री चेताराम पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 71/312(21) के किला नं. 18-19-23/.759, प.नं. 71/310 के किला नं. 1ता3,9ता12/1.771, 18/.070, 19ता23/1.205, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 3ता5/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 1-2-9-10/1.012, 12/.126, 13/.202, चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 80/327(29) के किला नं. 4-5/.506, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 3-4/.506, 6/.070 कुल 7.046 हैक्टयर पर कब्जा काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 02 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर चक 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 21ता24/1.012, प.नं. 71/311(18) के किला नं. के 11/.100, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 4/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 1 ता 4, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 5/.253, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 12/.100, 16ता22/1.771, 25/.253, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 6/.253, 15/.228, 16/.253, प.नं. 72/309(5) के किला नं. 16-17-22/.759, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 7ता9/.759, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 8-14-17/.759, चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 78/326(35) के किला नं. 1-2-10/.759, प.नं. 77/326(36) के किला नं. 6-7/.506, चक 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 77/331 (46) के किला नं. 12ता19/2.024, 22-23/.506 कुल 11.560 हैक्टयर भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे हैं।

विद्वान अभिभाषक वादीगण व पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक/भू0अ0/प्रा0डि0/2017/3888 दिनांक 10.10.2017 द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रस्तुत करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने बाबत निवेदन किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा काशतकारान का मौके पर उपरोक्तानुसार ही कब्जाकाशत होने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर गनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने उपरान्त तहसीलदार हनुमानगढ़ से दिनांक 10.10.2017 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किये जाने पर किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। विभाजन प्रस्ताव वादीगण के हक व हिस्सा अनुसार प्रेषित किये गये है।

उपरोक्त विवेचन स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ काबिल अन्तिम डिक्री है।

अतः वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आदेश दिया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 123/114 कुल 1.012 हैक्टर, खाता संख्या 129/123 में कुल 6.325 हैक्टर, खाता नं. 12/9 में 5.288 हैक्टर, खाता नं. 32/34 में 4.123 हैक्टर, खाता नं. 39/38 में 4.554 हैक्टर, व चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 4/5 में 2.530 हैक्टर, खाता संख्या 5/6 में 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 34/34 में 2.024 हैक्टर व चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू खाता नं. 41/39 में 1.265 हैक्टर कुल 29.145 हैक्टर में से वादी श्री जसराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 9-12-13-18-19/1.265 हैक्टर, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 11/.152, 20/.228, 21/.253, प.नं. 70/312(22) के किला नं. 15/.240, 16/1/.025, 16/2/.114, 25/.253, प.नं. 71/313(32) के किला नं. 1-2/.506, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 7-15/.506, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 1-9-10/.759, 11/.153, 12/.153, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 6/.253, 8-13-14-17/1.012, 18/.183, 24/.253, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 10-11-20/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 22/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 10/.253, चक 40 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 80/327(29) के किला नं. 6ता8,13ता15/1.518, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 1/.253, 6/.183, 7ता10/1.012 कुल 10.539 हैक्टर भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 01 श्री चेताराम पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 71/312(21) के किला नं. 18-19-23/.759, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 1ता3,9ता12/1.771, 18/.070, 19ता23/1.205, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 3ता5/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 1-2-9-10/1.012, 12/.126, 13/.202, चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 80/327(29) के किला नं. 4-5/.506, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 3-4/.506, 6/.070 कुल 7.046 हैक्टर भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 02 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 21ता24/1.012, प.नं. 71/311(18) के किला नं. के 11/.100, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 4/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 1 ता 4, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 5/.253, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 12/.100, 16ता22/1.771, 25/.253, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 6/.253, 15/.228, 16/.253, प.नं. 72/309(5) के किला नं. 16-17-22/.759, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 7ता9/.759, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 8-14-17/.759, चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 78/326(35) के किला नं. 1-2-10/.759, प.नं. 77/326(36) के किला नं. 6-7/.506, चक 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 77/331 (46) के किला नं. 12ता19/2.024, 22-23/.506 कुल 11.560 हैक्टर भूमि रहेगी। इसी अनुसार वाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जावे तथा नवशा तरमीम किया जावे। तादाद 400 रुपये का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमिल जाबता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को बसरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
सहायक क्लर्क एवं
उपसहायक क्लर्क (राजस्व)
हनुमानगढ़

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
अनुमान :- जसराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व
जिला हनुमानगढ़ ।

- वादी ।

बनाम

1. चेताराम पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व
जिला हनुमानगढ़ ।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व
जिला हनुमानगढ़ ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ ।

- प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट बाबत तकसीम खाता ।
प्रकरण संख्या 296 सन् 2016 निर्णय दिनांक :- 16.01.2018

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री देवीलाल भाम्भू, श्री तरसेमसिंह बराड़ अभिभाषक प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद-वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को वादग्रस्त भूमि पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आदेश दिया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 123/114 कुल 1.012 हैक्टर, खाता संख्या 129/123 में कुल 6.325 हैक्टर, खाता नं. 12/9 में 5.288 हैक्टर, खाता नं. 32/34 में 4.123 हैक्टर, खाता नं. 39/38 में 4.554 हैक्टर, व चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 4/5 में 2.530 हैक्टर, खाता संख्या 5/6 में 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 34/34 में 2.024 हैक्टर व चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू खाता नं. 41/39 में 1.265 हैक्टर कुल 29.145 हैक्टर में से वादी श्री जसराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 9-12-13-18-19/1.265 हैक्टर, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 11/.152, 20/.228, 21/.253, प.नं. 70/312(22) के किला नं. 15/.240, 16/1/.025, 16/2/.114, 25/.253, प.नं. 71/313(32) के किला नं. 1-2/.506, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 7-15/.506, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 1-9-10/.759, 11/.153, 12/.153, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 6/.253, 8-13-14-17/1.012, 18/.183, 24/.253, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 10-11-20/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 22/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 10/.253, चक 40 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 80/327(29) के किला नं. 6ता8,13ता15/1.518, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 1/.253, 6/.183, 7ता10/1.012 कुल 10.539 हैक्टर भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 01 श्री चेताराम पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक नं. 43 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 71/312(21) के किला नं. 18-19-23/.759, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 1ता3,9ता12/1.771, 18/.070, 19ता23/1.205, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 3ता5/.759, प.नं. 71/312(21) के किला नं. 1-2-9-10/1.012, 12/.126, 13/.202, चक नं. 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 80/327(29) के किला नं. 4-5/.506, प.नं. 81/327(28) के किला नं. 3-4/.506, 6/.070 कुल 7.046 हैक्टर भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 02 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल कौम जाट साकिन बहलोलनगर की कृषि भूमि चक 43 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 71/309(4) के किला नं. 21ता24/1.012, प.नं. 71/311(18) के किला नं. के 11/.100, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 4/.253, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 1 ता 4, प.नं. 71/310(7) के किला नं. 5/.253, प.नं. 71/311(18) के किला नं. 12/.100, 16ता22/1.771, 25/.253, प.नं. 70/309(3) के किला नं. 6/.253, 15/.228, 16/.253, प.नं. 72/309(5) के किला नं. 16-17-22/.759, प.नं. 72/310(6) के किला नं. 7ता9/.759, प.नं. 71/309(4) के किला नं. 8-14-17/.759, चक नं. 42 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 78/326(35) के किला नं. 1-2-10/.759, प.नं. 77/326(36) के किला नं. 6-7/.506, चक 40 एसएसडब्ल्यू में प.नं. 77/331 (46) के किला नं. 12ता19/2.024, 22-23/.506 कुल 11.560 हैक्टर भूमि रहेगी। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जावे तथा नक्शा तरमीम किया जावे। तादाद 400 रूपये का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे।

यस वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना-अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 16.01.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)